BABASAHEB BHIMRAOAMBEDKAR
BIHAR UNIVERSITY, MUZAFFARPUR
PIN-842001 (BIHAR)
Website:-www.brabu.net

Ref: B/2085 Date: 18/04/26

NOTIFICATION

The Hon'ble Vice-Chancellor, after due consideration, has been pleased to approve the following guidelines regarding the execution of developmental works, procurement and financial management in the constituent colleges:-

1. Civil and Electrical work of the college shall be carried out under the strict provisions of the Guidelines of Scheduled of Rate 2022 of Building Construction Department, Bihar.
2. Books in library as per CBCS Curricullam may be purchased following the rules of procurement.
3. The proposal related to the financial impementation shall be carried out strictly in accordance with the Bihar Financial Rules 2005 as amended up-to-date.
4. Proposal of purchase & construction must be considered and approved by the Building Committee and the Sales and Purchase Committee of the college and thenafter the competent Authorities concerned.
5. Manpower and house keeping staff may be hired as per the Guidelines through outsourcing agency against sanctioned vacant posts only following the instructions as contained in Governor's Secretariat notification no. 429 dated 04.03.2014.
6. All procurements shall be carried out in transparent manner following the provisions of the Bihar Financial Rules, Government procurement guidelines and applicable tender procedures strictly.
7. The institution shall ensure compliance of applicable tax laws, including GST, TDS and other statutory deductions, wherever applicable in the stipulated time.
8. All engagements of manpower shall be in accordance with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, ESIC and Minimum Wages Act, 1948.

BABASAHEB BHIMRAOAMBEDKAR

BIHAR UNIVERSITY, MUZAFFARPUR

PIN-842001 (BIHAR)

Website:-www.brabu.net

Ref:....................

Date:..........................

9. Compliance of the directives contained in enclosed (letter no. 15/एम. 1-296-2023-70 dated 04.01.2024, Letter No. 01 स्था. (संविदा) -34-2016 22 (अनु.) पटना dated 09.01.2025 and letter no. 1020 , dated 21.02.2024) must be ensured.
10. The Principal of the college, before initiating the process, must allocate and disclose the position of the fund and the same should be sent to the University.
11. Diversion of Fund shall be treated as serious misconduct.
12. The Principals shall ensure to send the monthly report of income and expenditure mentioning the account numbers of the college of every account to the office of the Registrar.
13. In case of any clarification the University may be contacted.

The Vice-Chancellor has further been pleased to order that if any discrepencies/irregularities are found at any stage by the State Audit Team/Audit Team constituted by the Auditor General/Higher Education/Finance Department/University Audit Team or authorised C.A. by the State Government Bihar/University, the Principal concerned will be held solely responsible for any adverse circumstances and liability will be fixed accordingly.

18/4/26

Registrar

Memo No. ...B/2085............ **dated** ....18/04............../**2026**

Copy forwarded to : Financial Advisor/All Principals /CCDC/Inspector of Colleges/Deputy Registrar-II/Finance Officer/Deputy Registrar-I/P.A. to Vice-Chancellor/Steno to Registrar, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur for information and necessary action.

Registrar

18/4/26

पत्रांक 15/एम1–296/2023
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

बैद्यनाथ यादव,
सचिव,

सेवा में,

कुलपति,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना दिनांक 2024

विषयः– **सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं उनके अंगीभूत महाविद्यालयों के लिये सिविल कार्य एवं सामाग्री क्रय हेतु दिशा–निर्देश (Guidelines)।**

महाशय,

पिछले कुछ माह से विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के निरीक्षण पर विशेष जोर दिया गया है जिसमें पठ्न–पाठ्न, छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, होस्टलों में साफ–सफाई, कक्षाओं की साफ–सफाई, कक्षाओं का कंप्यूटरीकरण इत्यादि की स्थिति देखी गयी। सभी विश्वविद्यालयों के सत्र पीछे चल रहे थे जहां अब युद्धस्तर पर परीक्षाएं करवाते हुए विश्वविद्यालयों ने तेजगति से परीक्षा परिणामों की भी घोषणा की है। इसका नतीजा यह हुआ है कि दो विश्वविद्यालयों को छोड़कर शेष के सत्र अद्यतन चल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा हाल ही में अंकेक्षकों का विशेष दल गठित कर सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलेजों का विशेष अंकेक्षण कराया गया। इस विशेष अंकेषण का यह उद्देश्य था कि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में कुल कितने बैंक खाते संचालित हैं और उनमें कुल कितनी राशि उपलब्ध है। अंकेक्षण से यह पता चला कि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को भी यह पता नहीं था कि उनके संस्थान में कुल कितने बैंक खाते हैं और उनमें कितनी राशि है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि इन सभी शिक्षण संस्थाओं में रु02000 करोड़ से ज्यादा की राशि पड़ी हुई है। वेतन, पेंशन आदि मद की राशि हटा दी जाए, तो भी रु01500 करोड़ से अधिक राशि अन्य मदों में पड़ी हुई है। यह आश्चर्यजनक है कि इतनी भारी मात्रा में राशि पड़े रहने के बावजूद विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की कक्षाओं, कमरों तथा होस्टलों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तमाम तरह के सिविल कार्य एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु एक गाइडलाइन तय की जाए ताकि कुलपति/प्राचार्य अपने–अपने संस्थानों में पड़ी राशि (वेतन, पेंशन आदि छोड़कर) को सदुपयोग कर अपनी आधारभूत संरचना को मजबूत करें और शैक्षणिक वातावरण में सुधार करें।

अतः निदेशानुसार अंकित करना है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ करेंः–

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अभियंत्रण कोषांग का गठनः–

पुराने विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के पद सृजन के साथ अभियंत्रण इकाई कार्यरत है। परन्तु नये विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था नहीं रखी गयी है। साथ ही महाविद्यालय में किसी प्रकार का अभियंत्रण इकाई के न तो पद सृजित है और ना ही कार्यरत हैं। वैसी स्थिति में आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय अभियंत्रण इकाई का सहयोग लेते हैं। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि कई पुराने विश्वविद्यालय में अभिंयत्रण इकाई के पद रिक्त हैं।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में असैनिक कार्य (निर्माण/मरम्मति/जीर्णोद्धार एवं छोटे स्तर के निर्माण कार्य) कराये जाने की आवश्यकता होती है। परन्तु अभियंत्रण इकाई के अभाव में उक्त कार्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आंतरिक स्रोत की राशि एवं अन्य संगत मद की राशि उपलब्ध होने के बावजूद कराने में कठिनाई होती है। इसके लिये छोटे–मोटे कार्यों के लिये

भी विश्वविद्यालय के अभियंत्रण ईकाई का या अन्य विभागों के अभियंताओं का सहयोग लेने की बाध्यता होती है।

उक्त कार्यों को सुगमतापूर्वक करने हेतु सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अभियंत्रण कोषांग का गठन करे और इस हेतु आउटसोंसिंग के माध्यम से आवश्यकता अनुसार अभियंता रख सकेंगे। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् ने ऐसे एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उन ऐजेंसियों से अथवा अन्य एजेंसियों से परिषद द्वारा तय दर पर विभिन्न श्रेणी के अभियंता रखने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय में विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 553 दिनांक 30.12.2023 की शर्तों के अधीन निम्न अनुसार अभियंत्रण कोषांग का गठन किया जा सकेगा।

1.1 अभियंत्रण कोषांग का गठन एवं तकनीकी स्वीकृति :–

क्र० सं०	अभियंत्रण कोषांग	अभियंता	अभ्युक्ति
01	विश्वविद्यालय स्तरीय अभियंत्रण कोषांग	i. Senior Consultant (civil), ii. TechnicalConsultant (civil), iii. Technical Consultant (electrical), iv. Consultant (Architect), v. junior Consultant (Civil)	1. यह कोषांग विश्वविद्यालय के असैनिक कार्य में सहयोग के अलावा महाविद्यालयों में भी आवश्यकता अनुसार सहयोग करेगा। 2. इन तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा मात्र कार्य की आवश्यकता पर आधारित होगी तथा भुगतान आंतरिक स्रोत की राशि से की जा सकेगी।
02	महाविद्यालय स्तरीय अभियंत्रण कोषांग	i. Technical Consultant (civil), ii. Junior Consultant (Civil)	1. वैसे महाविद्यालय Technical Consultant (Civil) एवं Junior Consultant (Civil) रख सेंकेगें जहाँ कुल नामांकित छात्र की संख्या 10 हजार या उससे अधिक हो। अन्य महाविद्यालय उक्त कार्यों हेतु विश्वविद्यालय का सहयोग ले सकतें हैं या वे छोटे कार्यों के लिए स्थानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से उनके कार्यालय के अभियंत्रण कोषांग से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 2. इन तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा मात्र कार्य की आवश्यकता आधारित होगी तथा भुगतान आंतरिक स्रोत की राशि से किया जाएगा।

उपरोक्त अभियंत्रण कोषांग का काम होगा कि वह प्रत्येक योजना को लेने के पूर्व स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन बनायेंगे और तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई होगी। प्राक्कलन हेतु राज्य सरकार के SOR (Schedule of Rates) का पालन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि अब प्रखण्ड स्तर पर BEP/BSEIDC का एक अभियंता उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार महाविद्यालय अपनी छोटी–से–छोटी योजनाओं हेतु स्थानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन कार्यरत अभियंत्रण कोषांग से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

2. विविध प्रकार के सामग्री क्रय एवं असैनिक कार्य के संपादनार्थ प्रक्रिया का विवरण:– सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का Presentation विभाग के समक्ष हुआ था जिससे यह पता चला कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय निर्णय लेने में अनिर्णयता देखी गयी है, जिसका मुख्य कारण वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की अनभिज्ञता है। इसी आलोक में मुख्यतः बिहार वित्त नियामावली से प्रेरणा लेते हुए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा रहा है कि वह नीचे दी हुई प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रशासनिक/वित्तीय निर्णय लें सकते हैं और अपने संस्थानों में पठ्न–पाठ्न अथवा आधारभूत संरचना संबंधी काम करा सकते हैं। इस हेतु अन्तरिक श्रोतों से उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाय। "आन्तरिक स्रोत की राशि" को विभागीय पत्रांक– 55 दिनांक– 03.01.2024 में परिभाषित किया गया है। (प्रतिलिपि– संलग्न)

क्र0	योजना/कार्य की राशि	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासनिक स्वीकृति	प्रक्रिया
01	रू0 50,000/– तक (गैर सिविल कार्य)	आवश्यक नही है।	महाविद्यालय हेतु प्रधानाचार्य/विश्वविद्यालय हेतु कुलपति	**सामग्री क्रय**–कोई सामग्री अथवा स्टेशनरी, लैब सामग्री/पुस्तक/खेल सामग्री कम्प्यूटर, जेनरेटर या कोई कार्यालय उपस्कर खरीदने के लिये रूपये 50,000/– तक की सामग्री Off the shelf तरीके से कर सकते हैं। यानि किसी भी दुकान में जायें एवं 50,000/– रूपये तक के सामान का क्रय कर लें। किन्तु इसकी इन्वॉयस/रसीद अवश्य प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।
02	रू0 50,000/– से उपर रु0 5 लाख तक (गैर सिविल कार्य)	आवश्यक नही है।	महाविद्यालय हेतु प्रधानाचार्य/ विश्वविद्यालय हेतु कुलपति	**गैर सिविल निर्माण कार्य** से संबंधित सामग्री क्रय में रूपये 50,000/– से अधिक तथा 5,00,000/– तक की सामग्री का क्रय बिहार वित्त नियमावली 131 (घ) के आलोक में स्थानीय क्रयसमिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण उपरान्त तीन कोटेशन प्राप्त करके किया जा सकता है। इस क्रय का भी इन्वॉयस/रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। ऐसा क्रय GEM Portal से भी किया जा सकता है।
03	रु0 5 लाख से अधिक एवं रू0 15 लाख तक (गैर सिविल कार्य)	आवश्यक नहीं है।	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर गठित संबंधित समिति के अनुशंसा उपरान्त विश्वविद्यालय हेतु कुलपति /महाविद्यालय हेतु प्रधानाचार्य	इस हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् तय Estimate के अनुसार निविदा निकालेंगे। निविदा e-Proc Portal पर डाली जायेगी और प्राप्त निविदा को तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात् L-1 के आधार पर कार्यादेश दिया जा सकेगा। निविदा पर निर्णय महाविद्यालय हेतु प्रधानाचार्य/विश्वविद्यालय हेतु कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। **यह बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (घ) से शासित होगा।**
**********				
04	**सिविल कार्य**–रु0 5 लाख तक (आंतरिक स्रोत की राशि से)	आवश्यक नहीं ।	महाविद्यालय हेतु प्रधानाचार्य/विश्वविद्यालय हेतु कुलपति	**सिविल निमार्ण कार्यः**– महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में छोटे–मोटे सिविल कार्य (निर्माण कार्य, शौचालय का काम, साधारण मरम्मति, पेंट–पोचारा, आदि) के लिये अभियंता से प्राक्कलन तैयार

				कराकर कार्य संपन्न कराया जायेगा। इसके लिए निविदा निकालने की आवश्यकता नहीं होगी।
05	**सिविल कार्य**–रु0 5 लाख से अधिक एवं रु0 15 लाख तक (आंतरिक स्रोत की राशि से)	अभियंत्रण कोषांग के वरीयतम अभियंता	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय स्तर पर गठित संबंधित समिति के अनुशंसा उपरान्त विश्वविद्यालय हेतु कुलपति/महाविद्यालय हेतु प्रधानाचार्य	निर्माण कार्य जिसका लागत मूल्य रु0 पांच लाख से अधिक एवं रु0 पन्द्रह लाख तक हो, उसे शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध संवेदकों से सीमित निविदा (कम से कम तीन संवेदकों से) आमंत्रित कर एल1 दर के संवेदक से कार्य कराया जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भवन निर्माण विभाग के संकल्प 9458 दिनांक 06.09.2018 के तहत प्रदत है।
06	**सिविल कार्य**–रू0 15 लाख से अधिक एवं रू 50 लाख तक (आंतरिक स्रोत की राशि से)	अभियंत्रण कोषांग के वरीयतम अभियंता	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय स्तर पर गठित संबंधित समिति के अनुशंसा उपरान्त विश्वविद्यालय हेतु कुलपति/महाविद्यालय हेतु प्रधानाचार्य	इस हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् तय प्राक्कलन के अनुसार निविदा निकालेंगे। निविदा E-proc Portal पर डाली जायेगी और प्राप्त निविदा को तकनीकि एवं वित्तीय मुल्यांकन के पश्चात् L-1 के आधार पर कार्यादेश दिया जा सकेगा। निविदा पर निर्णय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा लिया जायेगा।
07	**सिविल कार्य**–रु0 50 लाख से अधिक (आंतरिक स्रोत की राशि से)	इसकी स्वीकृति बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के अभियंत्रण कोषांग द्वारा दी जायगी।	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय स्तर पर गठित संबंधित समिति के अनुशंसा उपरान्त विश्वविद्यालय हेतु कुलपति/महाविद्यालय हेतु प्रधानाचार्य	इस हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् तय प्राक्कलन के अनुसार निविदा निकालेंगे। निविदा E-proc Portal पर डाली जायेगी और प्राप्त निविदा को तकनीकि एवं वित्तीय मुल्यांकन के पश्चात् L-1 के आधार पर कार्यादेश दिया जा सकेगा। निविदा पर निर्णय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा लिया जायेगा।
08	**सिविल कार्य**–राज्य सरकार/ विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुदान /राशि	स्वीकृत्यादेश में वर्णित शर्तो के अधीन	स्वीकृत्यादेश में वर्णित शर्तो के अधीन	स्वीकृत्यादेश में वर्णित शर्तो के अधीन

अतः विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को बेहतर करने के निमित्त उपलब्ध आधारभूत संरचना के रख–रखाव/सुदृढ़ीकरण/विकास के साथ–साथ सभी प्रकार के आवश्यक सामग्रियों की अधिप्राप्ति एवं रख–रखाव के लिये उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु दिये गये सुझावों का भी अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(बैद्यनाथ यादव)
सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–15/एम1–296/2023 - 70. पटना, दिनांक 4/01./2024

प्रतिलिपिः– कुलपति/कुलसचिव/वित्तीय सलाहकार/वित पदाधिकारी, सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय, बिहार तथा प्रधानाचार्य, सभी अंगीभूत महाविद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–4 / निग० परि० श्रम सं०–13 / 2024.....110 (अनु.)

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

अरूण कुमार ठाकुर,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

महानिदेशक,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।
अपर महानिदेशक,
विशेष निगरानी ईकाई, पटना।
अभियंता प्रमुख,
तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना।

पटना, दिनांक 07/01

विषय :– आउटसोर्सिंग पर कार्य लेने वाले एजेंसी/संवेदको तथा कार्य देने वाले नियोजकों द्वारा अनुपालनीय श्रम कानूनों के मुख्य प्रावधान।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6754 दिनांक–06.12.2024 से प्राप्त पत्र की छायाप्रति है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

E:/Preety/2024/DECEMBER

संचिका संख्या–4/MW–40–01/2024

अतिमहत्वपूर्ण

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

दीपक आनन्द, भा०प्र०से०

सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/

सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 06 / 12 /2024

विषय– आउटसोर्सिंग पर कार्य लेने वाले एजेंसी/संवेदकों तथा कार्य देने वाले नियोजकों द्वारा अनुपालनीय श्रम कानूनों के मुख्य प्रावधान।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वर्तमान समय में सरकार के कई विभागों/समितियों/बोर्ड/आयोग आदि के द्वारा बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी/संवेदकों के माध्यम से श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा कई बार विभाग के संज्ञान में लाया जाता है कि इन आउटसोर्सिंग एजेंसी/संवेदकों द्वारा श्रम कानूनों का समुचित ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रधान नियोजकों द्वारा भी इसकी निगरानी नहीं की जा रही है। उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी नियोजकों एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी/संवेदकों द्वारा अनुपालनीय प्रमुख श्रम कानूनों की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार से है:

i. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** के अनुसार श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है। न्यूनतम मजदूरी की दर श्रमिकों की कार्यकुशलता/योग्यता के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल के रूप में वर्गीकृत होती है तथा कामगारों को उनके कोटि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना होता है।

kk hindi 98

(5)

ii. न्यूनतम मजदूरी की दर में प्रत्येक 6 माह पर परिवर्तनशील महगाई भत्ता जोड़कर प्रत्येक वर्ष **01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को नया न्यूनतम मजदूरी** का दर प्रकाशित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी की अद्यतन दर विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/labour के Notifications सेक्शन में जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

iii. कोई भी Manpower से सम्बंधित निविदा जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर संवेदक Manpower उपलब्ध कराने का Quotation देता है, वह अमान्य होगा।

iv. श्रमिक से एक दिन में ओवरटाइम को छोड़कर अधिकतम 9 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है जिसमें उसका एक घन्टे का विश्राम अंतराल भी शामिल रहेगा। यदि किसी दिन कार्य की अधिकता है तो दो घंटे तक काम लिया जा सकता है लेकिन उसके लिए ओवरटाइम का भुगतान करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम कार्य–विस्तृति (Spread–over) विश्राम अंतराल सहित अधिकतम 12 घंटे तक हो सकती है। एक व्यक्ति द्वारा एक त्रैमासिक में अधिकतम 50 घंटे तक ओवरटाइम किया जा सकता है।

v. कामगार के मासिक वेतन की गणना एक दिन के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में 26 से गुणा करके किया जाएगा। सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाना आवश्यक होगा।

vi. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान उनके कोटि के अनुरूप किया जाएगा। यदि श्रमिक का वर्गीकरण अकुशल, अर्धकुशल, कुशल या अतिकुशल श्रेणी में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो उसके लिए श्रम संसाधन विभाग से मतव्य प्राप्त किया जा सकता है।

vii ओवरटाइम का मजदूरी दर **सामान्य दर से दुगुना** दर से होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी श्रमिक के **एक दिन की न्यूनतम मजदूरी** (8 घंटे के लिए) 400 रुपये है तो उसके एक घंटे की मजदूरी 50 रूपये होगी है। ऐसे में अगर कामगार ने एक घंटे ओवरटाइम किया है तो उसके लिए कामगार 100 रुपये (50*2=100) का अतिरिक्त भुगतान उस दिन किया जायेगा।

viii. आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमानुसार ESI तथा EPF का लाभ दिया जाना है, जो कि निविदा के शर्तों में निहित होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के द्वारा

a. मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु **सेवा शुल्क** (Service Charge) न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी।

b. चयनित एजेंन्सी द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को प्रतिमाह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में **Real Time Gross Settlement (RTGS)** की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंन्सी को राशि विमुक्ति की तिथि के **तीन कार्य दिवस के अन्दर** संबंधित एजेंन्सी द्वारा किया जायेगा।

c. संबंधित कार्यालय/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की **5वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र** के आलोक में राशि का भुगतान किया जाना होगा। साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।

d. आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों/मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध खाते में) का **साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ** उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती/देयता (यथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का **साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन** भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

e. GST की देयता आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता एजेंसी को किये जाने वाले कुल भुगतान (यथा न्यूनतम पारिश्रमिक Employer Contribution for EPF and ESI एवं Service Charge) के योग पर होगी।

f. सेवा शुल्क (Service Charge) की गणना GST को छोड़कर शेष मदों (यथा, न्यूनतम पारिश्रमिक, Employer Contribution For EPF and ESI एवं अन्य Charges यदि कोई हो तो) के योग पर होगी ।

xii. उदाहरण के लिए यदि किसी अकुशल कामगार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से 01.10.2024 से रखा जाना है तो उसके एक दिन के लिए निविदा में न्यूनतम मजदूरी की गणना कुछ इस प्रकार से होगी:–

कामगार की प्रकृति	कामगार की संख्या	01.10.2024 को एक दिन की न्यूनतम मजदूरी की दर	ESI की राशि @3.25%	EPF की राशि @13%	योग (3+4+5)	सेवा शुल्क @3.85 (न्यूनतम)	योग (6+7)	GST @ 18%	कुल योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अकुशल	01	412	13.39	53.56	478.95	18.44	497.39	89.53	586.9

नोट – 1. कामगार द्वारा देय EPF एवं ESI का अंशदान उनके वेतन में कटौती किया जायेगा। परन्तु नियोजक द्वारा भुगतेय EPF एवं ESI का अंशदान की कटौती कामगार के वेतन से नहीं की जाएगी।

2. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, उपादान (Gratuity) भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अनुरूप बोनस एवं उपादान का भी भुगतान नियोजक/संवेदक को करना होगा।

3. यह गणना न्यूनतम मजदूरी के दर के अनुरूप है तथा संविदा में इससे अधिक दर से मजदूरी देने वाले I.I एजेंसी का नियमानुसार चयन विभाग कर सकता है।

xiii. इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि न्यूनतम मजदूरी की दर वर्ष में दो बार परिवर्तित होती है अतः निविदा में न्यूनतम मजदूरी के अद्यतन दर के अनुरूप मजदूरी भुगतान का शर्त शामिल होना चाहिये।

xiv. इसके अलावे अन्य श्रम अधिनियमों यथा, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 उपादान (Gratuity) भुगतान अधिनियम, 1972, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 आदि श्रम अधिनियमों का भी नियमानुसार अनुपालन प्रधान नियोजकों/नियोजकों/संवेदकों द्वारा किया जाना है।

उपरोक्त सभी प्रावधान सारांश के रूप में उल्लेखित किये गए है तथा इसकी विस्तृत जानकारी सम्बंधित अधिनियमों से अथवा श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त की जा सकती है। अतः अनुरोध है कि उक्त प्रावधानों का समुचित अनुपालन करने के लिए अपने अधीनस्थों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

31/12/24

(दीपक आनंद)
सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
तकनीकी परीक्षक कोषांग
ब्लॉक–02,
मुख्य सचिवालय, पटना

ज्ञापांक–01/स्था० (संविदा)–34/2016-2230 पटना, दिनांकः– 09/01/25

प्रतिलिपिः–निदेशानुसार स्थापना (प्र0), बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी (मानव संसाधन), बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, बेल्ट्रॉन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/01/25

(केशव कुमार लाल)
अधीक्षण अभियंता (स्था०)

Raj Kumar 15
kk hindi 43

संचिका संख्या-4/MW-40-01/2024

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार , पटना

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- .....

विषय- **आउटसोर्सिंग पर कार्य लेने वाले एजेंसी/संवेदकों तथा कार्य देने वाले नियोजकों द्वारा अनुपालनीय श्रम कानूनों के मुख्य प्रावधान।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वर्तमान समय में सरकार के कई विभागों/समितियों/ बोर्ड/आयोग आदि के द्वारा बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी/संवेदकों के माध्यम से श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा कई बार विभाग के संज्ञान में लाया जाता है कि इन आउटसोर्सिंग एजेंसी/संवेदकों द्वारा श्रम कानूनों का समुचित ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रधान नियोजकों द्वारा भी इसकी निगरानी नहीं की जा रही है। उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी नियोजकों एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी/संवेदकों द्वारा अनुपालनीय प्रमुख श्रम कानूनों की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार से है -

i. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** के अनुसार श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है। न्यूनतम मजदूरी की दर श्रमिकों की कार्यकुशलता/योग्यता के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल के रूप में वर्गीकृत होती है तथा कामगारों को उनके कोटि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना होता है।

ii. न्यूनतम मजदूरी की दर में प्रत्येक 6 माह पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता जोड़कर प्रत्येक वर्ष **01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को नया न्यूनतम मजदूरी** का दर प्रकाशित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी की अद्यतन दर विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/labour के Notifications सेक्शन में जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

iii. कोई भी Manpower से सम्बंधित निविदा जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी से कम दर पर संवेदक Manpower उपलब्ध कराने का Quotation देता है, वह अमान्य होगा।

iv. श्रमिक से एक दिन में ओवरटाइम को छोड़कर अधिकतम 9 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है जिसमें उसका एक घन्टे का विश्राम अंतराल भी शामिल रहेगा। यदि किसी दिन कार्य की अधिकता है तो दो घंटे तक काम लिया जा सकता है लेकिन उसके लिए ओवरटाइम का भुगतान करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम कार्य-विस्तृति (Spread-over) विश्राम अंतराल सहित अधिकतम 12 घंटे तक हो सकती है। एक व्यक्ति द्वारा एक त्रैमासिक में अधिकतम 50 घंटे तक ओवरटाइम किया जा सकता है।

v. ओवरटाइम का मजदूरी दर **सामान्य दर से दुगुना दर** से होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी श्रमिक के **एक दिन की न्यूनतम मज़दूरी (8 घंटे के लिए)** 400 रुपये है तो उसके एक घंटे की मजदूरी 50 रूपये होगी है। ऐसे में अगर कामगार ने एक घंटे ओवरटाइम किया है तो उसके लिए कामगार 100 रुपये (50*2=100) का अतिरिक्त भुगतान उस दिन किया जायेगा।

vi. आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमानुसार **ESI तथा EPF** का लाभ दिया जाना है, जो कि निविदा के शर्तों में निहित होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के द्वारा अंशदान देना आवश्यक है। वर्तमान में कर्मचारी का अंशदान दर उसके मजदूरी का 0.75 प्रतिशत और नियोक्ता का अंशदान कर्मचारियों के मजदूरी का 3.25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) में कामगार का अंशदान 12% तथा नियोजक का अंशदान 13% (प्राशासनिक शुल्क सहित) किया जाना है।

vii. ठेका श्रम (उन्मूलन एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 के अनुसार किसी भी संवेदक को कार्य देने के पूर्व **प्रधान नियोजक (Principal Employer)** को अपने स्थापना का **पंजीकरण (Registration)** श्रम संसाधन विभाग के करवाना है। प्रधान नियोजक से **कार्यादेश (Work-order)** प्राप्त होने के बाद संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए श्रम

संसाधन विभाग से **अनुज्ञप्ति (License)** प्राप्त करना होगा। प्रधान नियोजक वह व्यक्ति है जो किसी प्रतिष्ठान का अंतिम रूप से मालिक है। साथ ही **ठेकेदार (Contractor)** वह व्यक्ति है जो प्रतिष्ठान में सामानों की आपूर्ति को छोड़कर स्थापना के किसी भी कार्य को करने के लिए संविदा श्रमिक उपलब्ध करवाता है।

viii. **ठेका श्रम (उन्मूलन एवं विनियमन) अधिनियम, 1970** [The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970] के धारा 21 के अनुसार ठेकेदार जिसने ठेका श्रमिक को नियोजित किया है, प्रत्येक श्रमिक को ससमय मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। प्रत्येक प्रधान नियोजक ठेकेदार द्वारा मजदूरी के वितरण के समय उपस्थित होने के लिए अपने द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि को नामित करेगा और वह नामित प्रतिनिधि मजदूरी के रूप में भुगतान की गई राशि को प्रमाणित करेगा। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है या कम भुगतान करता है, तो प्रधान नियोजक मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद मुख्य नियोजक श्रमिक को भुगतान की गई राशि को अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में वसूल कर सकता है।

ix. वित्त विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक एम-4-06/2023- 2988/वि० पटना, दिनांक- 23-03-2023 एवं ज्ञापांक एम-4-06/2023- 8194/वि० पटना, दिनांक- 14-09-2023 के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु विभागों द्वारा निम्न बातों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है-

a. मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु **सेवा शुल्क (Service Charge)** न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी।

b. चयनित एजेंन्सी द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को प्रतिमाह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में **Real Time Gross Settlement (RTGS)** की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग / प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंन्सी को राशि विमुक्ति की तिथि के **तीन कार्य दिवस के अन्दर** संबंधित एजेंन्सी द्वारा किया जायेगा।

c. संबंधित कार्यालय / प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की **5वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र** के आलोक में राशि का भुगतान किया जाना होगा। साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।

d. आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों / मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध खाते में) का **साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ** उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती / देयता (यथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का **साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन** भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग / प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

e. **GST** की देयता आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता एजेंसी को किये जाने वाले कुल भुगतान (यथा न्यूनतम पारिश्रमिक Employer Contribution for EPF and ESI एवं Service Charge) के योग पर होगी।

f. सेवा शुल्क (Service Charge) की गणना GST को छोड़कर शेष मदों (यथा, न्यूनतम पारिश्रमिक, Employer Contribution For EPF and ESI एवं अन्य Charges यदि कोई हो तो) के योग पर होगी।

x. उदाहरण के लिए यदि किसी अकुशल कामगार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से 01.01.2024 से रखा जाना है तो उसके एक दिन के लिए निविदा में न्यूनतम गणना कुछ इस प्रकार से होगी-

कामगार की प्रकृति	कामगार की संख्या	01.01.2024 को एक दिन की न्यूनतम मजदूरी की दर	ESI की राशि @3.25%	EPF की राशि @13%	योग (3+4+5)	सेवा शुल्क @3.85	योग (6+7)	GST @18%	कुल योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अकुशल	01	395	12.84	51.35	429.19	16.52	455.71	80.22	525.93

नोट- 1. कामगार द्वारा देय EPF एवं ESI का अंशदान उनके वेतन में कटौती किया जायेगा। परन्तु नियोजक द्वारा भुगतेय EPF एवं ESI का अंशदान की कटौती कामगार के वेतन से नहीं की जाएगी।

2. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, उपादान (Gratuity) भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अनुरूप बोनस एवं उपादान का भी भुगतान नियोजक/संवेदक को करना होगा।

3. यह गणना न्यूनतम दर के अनुरूप है तथा संविदा का L1 इससे अधिक दर पर भी हो सकता है।

xi. इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि न्यूनतम मजदूरी की दर वर्ष में दो बार परिवर्तित होती है अतः निविदा में न्यूनतम मजदूरी के अद्यतन दर के अनुरूप मजदूरी भुगतान का शर्त शामिल होना चाहिये।

xii. इसके अलावे अन्य श्रम अधिनियमों यथा, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, उपादान (Gratuity) भुगतान अधिनियम, 1972, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 आदि का भी नियमानुसार अनुपालना नियोजकों/संवेदकों द्वारा किया जाना है।

उपरोक्त सभी प्रावधान सारांश के रूप में उल्लेखित किये गए है तथा इसकी विस्तृत जानकारी सम्बंधित अधिनियमों से अथवा श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त की जा सकती है। अतः अनुरोध है कि उक्त प्रावधानों का समुचित अनुपालन करने के लिए आने अधीनस्थों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

ह०/-
(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक-.....1020.....   पटना, दिनांक.....21/02/ 2024

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20-02-24
(रंजिता)
श्रमायुक्त, बिहार।